रजिस्ट्री सं० डी 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1973/माघ 14, 1894
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1973/MAGHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1973

S.O. 66(E).—Whereas the Industrial Undertaking known as the Pearl Scooters, 425—427, Industrial Area—A, Ludhiana—2, (hereinafter in this Order referred to as the said industrial undertaking) is engaged in the scheduled industry, namely, the automobile industry, and the said industrial undertaking is alleged to have been sold to the Pearl Automobiles (India) Limited, 425—427, Industrial Area—A, Ludhiana;

And whereas it has come to that notice of the Central Government that the volume of production of Scooteretes in the said industrial undertaking had been gradually going down and that no Scooterettes were produced durig the year 1972, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And Whereas the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 652(E), dated the 11th October, 1972, the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case a body of persons consisting of—

Chairman

1. Shri P. R. Latey, Chief (Engineering), Industries and Mineral Division, Planning Commission, New Delhi.

Members

2. Shri J. N. Luthra, Engineer, National Industrial Development Corporation Limited, Chanakya Bhawan, Vinay Marg, New Delhi—21.

3. Shri B. M. Lal, Financial Adviser, Cement Corporation of India Limited, 5A, Bahadur Shah Zaffar Marg, New Delhi—1.

Member Secretary

4. Shri S. S. Khosla, Assistant Development Officer (Auto.), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

2. The said body shall submit its report within two months from the date of this Order.

[No. 7(46)/72-A.E.I.(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी 1973

का० आ० 66 (अ).—यत: पर्लस्कूटर्स, 425–427, इण्डस्ट्रियल एरिया–ए, लुधियाना–2 नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इस आदेश में उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) अनुसूचित उद्योग, अर्थात् ओटोमोबाइल उद्योग, में लगा हुआ है, और यह अभिकथित किया गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम पर्ल ओटोमाबाइल्स (इण्डिया) लिमिटेड, 425–427, इण्डस्ट्रियल एरिया–ए, लुधियाना को बेच दिया गया है ।

और यत: केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में स्कूटरेट्स के उत्पादन का परिमाण धीरे–धीरे कम होता रहा है और वर्ष 1972 में किसी भी स्कूटरेट का उत्पादन नहीं हुआ, जिसका विद्यमान आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है;

और यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है कि अनुसूचित उद्योग के लिये अति अहितकर है;

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं0 का0 आ0 652 (ई), तारीख 11 अक्तूबर, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा एक निकाय नियुक्त करती है, जिस में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

1. श्री पी0 आर0 लाटे, मुख्य (इंजीनियर), उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना आयोग नई दिल्ली । — अध्यक्ष
2. श्री जे0 एन0 लूथरा, इंजीनियर, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, लिमिटेड, चाणक्य भवन, विनय मार्ग, नई दिल्ली–21 — सदस्य
3. श्री बी0 एम0 लाल, वित्तीय सलाहकार, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, 5 ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1 — सदस्य
4. श्री एस0 एस0 खोसला, सहायक विकास अधिकारी, (ओटो०), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली । — सदस्य सचिव

2. उक्त निकाय इस आदेश की तारीख से दो मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 7(46)/72—ए० ई० आई० (I)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973